[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 43/2018-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 10 सितंबर, 2018

सा.का.नि.___(अ).-- केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और—

(i) अधिसूचना सं. 57/2017-केंद्रीय कर तारीख 15 नवंबर, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1413(अ) तारीख 15 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ;

(ii) अधिसूचना सं. 17/2018-केंद्रीय कर तारीख 28 मार्च, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 269(अ) तारीख 28 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी ;

(iii) अधिसूचना सं. 33/2018-केंद्रीय कर तारीख 10 अगस्त, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 760(अ) तारीख 10 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी,

को सिवाय उन बातों के, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थी या करने का लोप किया गया था, अधिक्रांत करते हुए और परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका पूर्ववर्ती वित्त वर्ष या चालू वित्त वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक समग्र आवर्त है, को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो नीचे यथा वर्णित प्रक्रिया का माल या सेवा या दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए अनुसरण करेगें ।

2. उक्त व्यक्ति माल या सेवा या दोनों की जावक पूर्ति, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक की गई है, के ब्यौरों को केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के **प्ररूप जीएसटीआर-1** में प्रस्तुत कर सकेंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**तिमाही, जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं**	**प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समयावधि**
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई-सितंबर, 2017	31 अक्तूबर, 2018
2.	अक्तूबर-दिसंबर, 2017	31 अक्तूबर, 2018
3.	जनवरी-मार्च, 2018	31 अक्तूबर, 2018
4.	अप्रैल-जून, 2018	31 अक्तूबर, 2018
5.	जुलाई-सितंबर, 2018	31 अक्तूबर, 2018
6.	अक्तूबर-दिसंबर, 2018	31 जनवरी, 2019
7.	जनवरी-मार्च, 2019	30 अप्रैल, 2019

परंतु माल या सेवा या दोनों की जुलाई, 2018 से सितंबर, 2018 की तिमाही के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक पूर्ति के ब्यौरे—(i) केरल राज्य में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा ; (ii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका कारबार का मूल स्थान कर्नाटक राज्य में कोडागु जिले में है ; और (iii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका कारबार का मूल स्थान पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के माहे में है, इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 15 नवंबर, 2018 को या उससे पूर्व प्रस्तुत किए जाएंगे :

परंतु यह और कि माल या सेवा या दोनों की जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 की तिमाही के लिए करदाताओं द्वारा, जिन्होंने अधिसूचना सं. 31/2018-केंद्रीय कर तारीख 6 अगस्त, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 742(अ) तारीख 6 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के निबंधनों में माल और सेवा कर पहचान सं. (जीएसटीआईएन) अभिप्राप्त कर ली है, द्वारा **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक पूर्ति के ब्यौरों को इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 31 दिसंबर, 2018 को या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा ।

3. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 के मास के लिए, यथास्थिति, ब्यौरों या विवरणी को प्रस्तुत करने की समय-सीमा पश्चातवर्ती रूप से राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी ।

[फाइल सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी.)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार